



सॉवरेन गोल्ड बॉण्ड योजना 2021-22

चर्चा में क्यों?

भारत सरकार ने, **भारतीय रज़िर्व बैंक** (Reserve Bank of India- RBI) के परामर्श से, मई 2021 से सितंबर 2021 तक छह कश्तों में **सॉवरेन गोल्ड बॉण्ड** (Sovereign Gold Bond) जारी करने का नरिणय लरिा है।

प्रमुख बदि

- **शुरुआत:** सरकार ने सोने की मांग को कम करने और घरेलू बचत के एक हसिसे (जसिका उपयोग स्वरण की खरीद के लरि करिा जाता है) को वरितीय बचत में बदलने के उद्देश्य से **नवंबर 2015** में सॉवरेन गोल्ड बॉण्ड (Sovereign Gold Bond) योजना की शुरुआत की थी।
- **नरिगमन:** गोल्ड/स्वरण बॉण्ड **सरकारी प्रतभूत (GS) अधनरियम, 2006** के तहत भारत सरकार के स्टॉक के रूप में जारी करिे जाते हैं।
 - ये **भारत सरकार की ओर से भारतीय रज़िर्व बैंक द्वारा जारी करिे जाते हैं।**
 - बॉण्ड की **बकिरी वाणजियकि बैंकों, स्टॉक होल्डरिगि कॉरपोरेशन ऑफ इंडरिया लमरिटेड (SHCIL), नामरि डाकघरों** (जनिहें अधसूचरि करिा जा सकता है) और **मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंजों** जैसे **कानेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडरिया लमरिटेड** तथा **बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज लमरिटेड** के ज़ररिे या तो सीधे अथवा एजेंटों के माध्यम से की जाती है।
- पात्रता: इन बॉण्डों की बकिरी नरिासी व्यक्तियों, हदू अवभरिजरि पररिारों (HUFs), न्यासों/ट्रस्ट, वशिवरिदरियालयों और धर्र्मारथ संस्थानों तक ही सीमरि है।

वशिषताएँ:

- **वभरिचन मूल्य:** गोल्ड/स्वरण बॉण्ड की कीमत **इंडरिया बुलरियन एंड जवेलरस एसोसिएशन** (India Bullion and Jewellers Association-IBJA) द्वारा 999 शुद्धता वाले सोने (24 कैरट) के लरिे प्रकाशरि मूल्य पर आधाररि होती है।
- **नरिश सीमा:** गोल्ड बॉण्ड एक ग्राम यूनरि के गुणकों में खरीदे जा सकते हैं जसमें वभरिन्न नरिशकों के लरिे एक नरिशरि सीमा नरिधाररि होती है।
 - खुदरा (व्यक्तगि) तथा हदू अवभरिजरि पररिारों (Hindu Undivided Families- HUFs) के लरिे खरीद की अधकितम 4 कलरिग्राम है। ट्रस्ट एवं इसी तरह के नरिारों के लरिे प्रतवतित वर्ष 20 कलरिग्राम की अधकितम सीमा लागू होती है।
 - संयुक्त धाररिा के मामले में 4 कलरिग्राम की नरिश सीमा केवल प्रथम आवेदक पर लागू होती है।
 - न्यूनतम स्वीकार्य नरिश सीमा 1 ग्राम सोना है।
- **अवधरि:** इन बॉण्डों की **पररिक्वता अवधरि 8 वर्ष** होती है तथा **5 वर्ष के बाद इस नरिश से बाहर नकिलने का वकिलप** उपलब्ध होता है।
- **ब्याज दर:** नरिशकों को प्रतवर्ष **2.5 प्रतशित की नरिशरि ब्याज दर** लागू होती है, जो **छह माह पर देय** होती है।
 - आयकर अधनरियम, 1961 के प्रावधान के अनुसार, गोल्ड बॉण्ड पर प्राप्त होने वाले ब्याज पर कर/टैक्स अदा करना होगा।

लाभ:

- ऋण के लरिे बॉण्ड का उपयोग संपारश्वकि (जमानत या गारंटी) के रूप में करिा जा सकता है।
- कसिी भी व्यक्त को सॉवरेन गोल्ड बॉण्ड (SGB) के वभरिचन पर होने वाले पूंजीगत लाभ को कर मुक्त कर देरिा गया है।
 - वभरिचन (Redemption) का तात्पर्य एक जारिकर्रता द्वारा पररिक्वता पर या उससे पहले बॉण्ड की पुनरखरीद के कर्य से है।
 - पूंजीगत लाभ (Capital Gain) स्टॉक, बॉण्ड या अचल संपत्त जैसी संपत्त की बकिरी पर अर्रजरि लाभ है। यह तब प्राप्त होता है जब कसिी संपत्त का वकर्य मूल्य उसके कर्य मूल्य से अधक हो जाता है।

SGB में नरिश के नुकसान:

- यह भौतिक स्वरण (जसिे तुरंत बेचा जा सकता है) के वरिरीत एक **दीर्घकालकि नरिश** है।
- सॉवरेन गोल्ड बॉण्ड **एक्सचेंज पर सूचीबद्ध** होते हैं लेकनरि इनका **ट्रेडरिगि वॉल्यूम ज़्यादा नहीं होता**, इसलरिे पररिक्वता से पहले बाहर नकिलना मुशकल होगा।

स्रोत: पी.आई.बी.

